संख्या:-61/2023/001-126आ0/23-5-23-21(भवन)/2020

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2216-01-700-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद रायबरेली, लखनऊ व गाजियाबाद के 19 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1509बीजीबी/112बीजीबी/आवासीय/चालू कार्य/2022-23, दिनांक 18.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद रायबरेली, लखनऊ व गाजियाबाद के 19 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि **रू0 158.91 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठावन लाख इक्यानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	48/2021/104आ0/23-5-21-26(भवन)/2020टीसी, दिनांक 18.03.2021	जनपद रायबरेली में मुख्य विकास अधिकारी के आवास सं0-ए0-2 की विशेष मरम्मत का कार्य।	6.66	00.09	06.57	00.37	06.20	06.20
2	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड के आवास की विशेष मरम्मत का कार्य।	6.53	00.10	06.43	00.37	06.06	06.06
3	तदैव	लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं के आवासों की विशेष मरम्मत का कार्य।	4.66	00.05	04.61	00.37	04.24	04.24
4	146/2021/407आ0/23-5-21-25(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	दिलकुशा कालोनी लखनऊ में स्थित पी0डब्लू0डी0 के नवनिर्मित भवन के टाइप-4 एवं टाइप-5 के आवासों में बाहरी सतह की पुताई एवं पेन्टिंग का कार्य।	17.07	01.20	15.87	08.65	07.22	07.22
5	तदैव	दिलकुशा कालोनी लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग के ई0एच0 ब्लॉक के आवास संख्या ई0एच-1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 व 16 में विशेष मरम्मत का कार्य।	68.86	06.50	62.36	32.77	29.59	29.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	64/2022/001-142आ0-23-5-22-21(भवन)/2020, दिनांक 21.09.2022	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-एफ, भवन संख्या-31 से 36 तक की मरम्मत का कार्य।	15.48	00.17	15.31	08.00	07.31	07.31
7	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-जी, भवन संख्या-37 से 42 तक की मरम्मत का कार्य।	15.55	00.15	15.40	08.00	07.40	07.40
8	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-एच, भवन संख्या-43 से 48 तक की मरम्मत का कार्य।	15.67	00.16	15.51	08.00	07.51	07.51
9	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-आई, भवन संख्या-49 से 54 तक की मरम्मत का कार्य।	15.48	00.16	15.32	08.00	07.32	07.32
10	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-जे, भवन संख्या-55 से 60 तक की मरम्मत का कार्य।	15.47	00.14	15.33	08.00	07.33	07.33
11	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-के, भवन संख्या-61 से 66 तक की मरम्मत का कार्य।	15.73	00.16	15.57	08.00	07.57	07.57
12	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-एल, भवन संख्या-67 से 72 तक की मरम्मत का कार्य।	15.61	00.12	15.49	08.00	07.49	07.49
13	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-एम, भवन संख्या-73 से 78 तक की मरम्मत का कार्य।	15.24	00.12	15.12	08.00	07.12	07.12
14	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-एन, भवन संख्या-79 से 86 तक की मरम्मत का कार्य।	19.14	00.15	18.99	10.00	08.99	08.99
15	70/2022/001-139आ0-23-5-22-35(भवन)/2017, दिनांक 13.10.2022	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-ए, भवन संख्या-19 से 24 तक की मरम्मत का कार्य।	15.91	00.70	15.21	08.00	07.21	07.21
16	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-बी, भवन संख्या-01 से 06 तक की मरम्मत का कार्य।	15.80	00.16	15.64	08.00	07.64	07.64
17	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-सी, भवन संख्या-13 से 18 तक की मरम्मत का कार्य।	15.85	00.13	15.72	08.00	07.72	07.72
18	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-डी, भवन संख्या-07 से 12 तक की मरम्मत का कार्य।	15.69	00.12	15.57	08.00	07.57	07.57
19	तदैव	डी0एम0 कालोनी के टाइप-2 आवासों के ब्लॉक-ई, भवन संख्या-25 से 30 तक की मरम्मत का कार्य।	15.58	00.16	15.42	08.00	07.42	07.42
		योग :-					**158.91**	**158.91**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 01,58,91,000(रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-61/2023/001-126आ0(1)/23-5-2023, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी रायबरेली, लखनऊ व गाजियाबाद।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली, लखनऊ व गाजियाबाद।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ।
12- अधी0 अभि0, लखनऊ वृत्त, 39वां वृत्त व बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड नं0-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रायबरेली।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
16- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।